P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-10* June- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान

बबली राम बैरवा
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
जय नारायण व्यास
विश्वविद्यालय,
जोधपुर, राजस्थान

सारांश

वास्तव में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता एवं अखण्ड़ता के प्रतीक थे, क्योंकि सरदार पटेल ने इस अखण्ड भारत के राजनीतिक मानचित्र को एकता के सूत्र में पिरोकर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसकी कही मिसाल नहीं मिलती है। राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के लिए सरदार पटेल द्वारा देश हित में लिए गए निर्णयों तथा देशी रियासतों का एकीकरण, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवा का गठन, हिंदी को राष्ट्र भाषा अपनाने का प्रयास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में भूमिका एवं सांप्रदायिकता की भावना आदि उनकी दूरदर्शिता, कर्त्तव्यनिष्ठा एवं परिश्रम के अनुपम उदाहरण है जो सदैव अनुकरणीय है। यह शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक अध्ययन स्त्रोतों पर आधारित होगा।

मुख्य शब्द : एकता एवं अखण्ड़ता, अनुपम, साम्प्रदायिकता, दूरदर्शिता, विविधता, कर्त्तव्यनिष्ठा, अनुकरणीय, निरपेक्ष, तथ्य, अवधारणा आदि।

प्रस्तावना

वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता एवं अखण्ड़ता के प्रतीक थे, क्योंकि भारत एक विशाल एवं विविध संस्कृतियों वाला देश है, जहां अनेकों भाषाओं, धार्मिक संस्कृतियों तथा समुदायों के लोग निवास करते हैं। स्वतत्रंता प्राप्ति के समय भारत की सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रीय एकता, अखण्डता तथा देशी रियासतों के एकीकरण की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अखण्ड़ भारत के राजनीतिक मानचित्र को एकता के सूत्र में पिरोकर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसकी कही मिसाल नहीं मिलती है। इस शोध पत्र को निरपेक्ष, तथ्यों, कथनों, एवं अध्ययनों के आधार पर सरदार पटेल की राष्ट्रीय एकता, अखण्डता तथा देशी रियासतों के एकीकरण में भूमिका के साथ ही समस्या का समाधान करने के प्रयास किए जा रहे है। यह शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक अध्ययन स्त्रोतों पर आधारित होगा।

सरदार पटेल ने अखण्ड भारत के निर्माण में जो भूमिका निभाई उसकी तारीफ करते हुए मैनचेस्टर गार्ड़ियस ने कहा था कि ''सरदार पटेल न सिर्फ स्वतंत्रता सग्रांम के संगठक थे, बल्कि सग्रांम खत्म होने के बाद वे एक नए राष्ट्र निर्माण के वास्तुकार भी थे। ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक ही आदमी विद्रोह के साथ राजनीतिज्ञ के रूप में भी सफल हुआ हो। सरदार पटेल निश्चित ही इसके अपवाद थे।''[1] सरदार पटेल द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए देश हित में लिए गए निर्णयों तथा देशी रियासतों का एकीकरण कर न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में एकता की मिसाल कायम की जो कि उनकी दृढ़ता, सतत् प्रयास और कुशलता की मिसाल मानी जाती है।

सामान्य अर्थ में देखा जाएं तो राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता का तात्पर्य विविधता को समाप्त करना ही नहीं, बल्कि इस विविधता में एकरूपता लानें से है अर्थात् राष्ट्रीय एकता का अर्थ ''विविधता में एकता'' से है। अतः हम कह सकते है कि ''राष्ट्रीय एकता एवं अखण्ड़ता का आशय नागरिकों की निष्ठा राष्ट्र के प्रति निर्मित करना है, जबकि दूसरी ओर देखा जाएं तो एकीकरण का आशय भी एकता लाना ही है''।[2] अर्थात् प्रत्येक नागरिक सर्वप्रथम स्वयं को भारतीय समझे, तत्पश्चात् वह अपनी भाषा एवं संस्कृति का सम्मान करे। माननीय रावजीभाई ने अपने शब्दों में कहा कि–देश में स्वराज्य की स्थापना होने पर अपने ठोस अनुभवाधार पर भारत के गृहमंत्री और आन्तरिक विषयों के मंत्री होने के नाते सरदार पटेल ने अखण्ड भारत का भव्य और सुन्दर भवन खड़ा किया था।[3]

शोध के उद्देश्य

1. राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के लिए देशी रियासतों के निर्माण मे सरदार पटेल भूमिका का परीक्षण करना आदि।
2. राष्ट्रीय एकता एवं समानता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में सरदार पटेल की भूमिका को जानना।
3. राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल की हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने की अवधारणा का अध्ययन करना।
4. राष्ट्रीय एकता एवं समानता के प्रति सरदार पटेल की सांप्रदायिकता की भावना को जानना।

साहित्यावलोकन

प्रो. एस.एम. चाँद एवं डॉ. इकबाल फातिमा ने *सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवन और विचार,* पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2010, नामक पुस्तक में सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व, राजनीतिक संघर्षों, विचारों, उपलब्धियों, सरदार पटेल की परिवार की स्थिति तथा छात्र जीवन का वर्णन, त्याग व बलिदान की मूर्ति भावना तथा देश की आजादी में सहयोग, 1919 का रौलेक्ट एक्ट का विरोध, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन में भाग, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार तथा युवाओं को देशी अपनाने का आग्रह किया, 1923 के नागपुर में झंडा आनदोलन में भागीदारी, बोरसद सत्याग्रह का सफल नेतृत्व, 1931 का करांची अधिवेशन की अध्यक्षता करना, 1936 वर्धा में कांग्रेस पार्लियामेंट्री समिति का अध्यक्ष के रूप में कार्य, गृह मंत्री के रूप में प्रमुख कार्य छोटी बड़ी 550 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण कर एक विशाल और नवीन भारत का निर्माण करना आदि का वर्णन किया गया है।

डॉ. रविन्द्र कुमार ने *सरदार पटेल के प्रमुख निर्णय,* कल्पाज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2014, नामक पुस्तक में सरदार पटेल द्वारा अपने जीवन में विभिन्न पदों पर रहते हुए लिए गए प्रमुख निर्णयों तथा स्वतंत्रता के बाद देश के नव–निर्माण में सरदार पटेल के योगदान, बारदोली किसान आंदोलन, कांग्रेस संसदीय समिति के अध्यक्ष 1934 पर रहते हुए लिए गए निर्णय, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानुसार प्रान्तीय विधान सभाओं के चुनावों का संचालन, संविधान सभा मंत्रिमण्डल में अम्बेडकर का पुनः मंत्री बने रहना, अक्टूबर, 1947 में कश्मीर का भारत में विलय, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं पुलिस सेवा का गठन, सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण, गांधी सार विधि, कमला नेहरू अस्पताल की रूपरेखा, हैदराबाद की समस्या को सैनिक कार्यवाही के द्वारा ही हल करना, 1909 में मार्ले–मिंटो सुधारों के तहत साम्प्रदायिकता के आधार पर चुनाव व्यवस्था का भी विरोध, हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विवरण इस पुस्तक में दिया गया है।

डॉ. एन. सी. मेहरोत्रा एवं डॉ. रंजना कपूर ने *''सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्तित्व एवं विचार,''* आत्माराम एण्ड सन्स प्रकाशन, दिल्ली, 2012 नामक पुस्तक में सरदार पटेल की राजनीतिक भूमिका, राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित उपेक्षित महत्वपूर्ण तथ्यों के वर्णन के साथ बताया है कि सरदार पटेल बचपन से ही साहसी एवं बुद्धिमान विद्यार्थी थे। सरदार पटेल में त्याग की भावना, सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी कर्त्तव्यनिष्ठा तथा स्थानीय क्षेत्र में भी योगदान, खेड़ा आंदोलन का सफल नेतृत्व, 1919 में सरदार पटेल ने सरकार की रौलेक्ट एक्ट का विरोध, 1922 में गाँधीजी के असहयोग आंदोलन में भाग, 1921 में स्वदेशी के आंदोलन के लिए अहमदाबाद में विदेशी कपड़ों की होली जलाना, 1923 में नागपुर में झंड़ा सत्याग्रह के संचालन करना, 1928 में किसानों की लगान बढ़ोतरी के खिलाफ बारदोली सत्याग्रह, 31 मार्च, 1930 को कॉंग्रेस के करॉंची अधिवेशन की अध्यक्षता करना, गृहमंत्री पद पर रहते हुए देशी राज्यों का एकीकरण तथा अखिल भारतीय सेवाओं का संचालन करना, सामाजिक कार्यों में उन्होंने हिंदु–मुस्लिम एकता तथा जाति प्रथा एवं स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने का जोर दिया था आदि का उल्लेख है।

रविन्द्र कुमार ने *सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामाजिक व राजनीतिक विचार,* मित्तल पब्लिकेषन, नई दिल्ली, 1991, नामक पुस्तक में सरदार पटेल के राजनीतिक जीवन, सार्वजनिक जीवनी, विभिन्न आंदोलनों में सहयोग, एक कुशल नेता व प्रशासन तथा उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों, किसानों के लिए 1917 खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में सरदार पटेल को अहमदाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में कार्य, राजनीति में प्रवेश, गाँधीजी के साथ 1920 में असहयोग आंदोलन, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं तथा भारतीय पुलिस सेवाओं का गठन, 554 से अधिक देशी रियासतों को शांतिपूर्वक भारत संघ में विलय, धर्मिक साम्प्रदायिकतावादी दृष्टिकोण, भारत की एकता व अखण्डता को बनाए रखने के लिये भारत–पाकिस्तान विभाजन आदि सभी कारणों का वर्णन है।

शोध की प्ररचना

इस शोध पत्र का विषय '' राष्ट्रीय एकता एवं अखण्ड़ता के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान'' है। यहां पर शोध पत्र में प्रश्नों के माध्यम से तर्क, तथ्यों, विश्लेषणों के आधार पर समाज को विषय की सत्यता तथा यथार्थता से अवगत किया गया है। यह शोध पत्र सरदार पटेल पर आधारित होने के कारण इस शोध पत्र के निम्नलिखित प्रश्न हैं :–

1. क्या सरदार पटेल ने हिंदी को राष्ट्र भाषा राष्ट्रीय बनाने का प्रयास राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के लिए किया था ?
2. क्या सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में भूमिका राष्ट्रीय एकता एवं समानता के लिए निर्वाह की थी ?
3. क्या सरदार पटेल ने देशी रियासतों का एकीकरण राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं राष्ट्रहित में किया था ?
4. क्या सरदार पटेल की सांप्रदायिकता की भावना राष्ट्रीय एकता एवं समानता के प्रति थी ?

संमक संकलन के स्रोत

यह शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक अध्ययन स्त्रोतों पर आधारित होगा। इन द्वितीयक स्रोतों में सार्वजनिक प्रलेख की प्रकाशित सामग्री में विभिन्न पुस्तकें, संदर्भ–सूचियाँ, समाचार–पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकालय, अप्रकाशित

लघु शोध ग्रंथ, शोध प्रबंध, शोध–पत्र एवं लेख आदि सम्मिलित हैं।

सरदार पटेल में बचपन से ही राष्ट्रीय एकता तथा समानता के गुण विद्यमान थे। इसका उदाहरण उनके स्कूल की इस घटना से चलता है कि वो जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहां के एक अध्यापक ने अपना मुनाफा कमाने के लिए सभी बच्चों से स्कूल से ही पुस्तकें खरीदने की घोषणा कर दी थी और कहा कि कोई भी छात्र बाहर से पुस्तकें नहीं खरीदेगा उस पर सभी बच्चें राजी भी हो गए, परन्तु सरदार पटेल ने इसका विरोध किया और एक नेता की तरह भाषण देंने लगे। सभी बच्चें भी उनका भाषण सुनकर उनके पक्ष में हो गए तथा सरदार पटेल का साथ देनें का वादा किया अन्त में अध्यापक को हारकर अपना पुस्तकों का व्यापार बन्द करना पड़ा, जो सभी कि समानता, मुनाफाखोरी के खिलाफ था।[4] यह घटना हमें उनकी निडरता, राष्ट्रवादीता तथा समानता के गुणों का स्मरण कराती है।

02 सितम्बर, 1946 में जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई ने देश के गृहमंत्री पद की शपथ ली तथा इस पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता में सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का गठन करना था।[5] इस कार्य के लिये उन्हें बहुत से ऐतिहासिक निर्णय लेने पड़े थे, वे सदैव अनुकरणीय हैं। अतः इसी कारण सरदार पटेल को भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक भी कहा जाता है।

राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के निर्माण के लिए हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने तथा उसे संविधान में सम्मिलित कराने का प्रथम प्रयास सरदार पटेल ने किया, क्योंकि उस समय भारत की राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी समस्या राष्ट्र भाषा की भी थी, जबकि हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने की सर्वप्रथम चर्चा ''राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के दौरान महात्मा गांधीजी ने की थी। सरदार पटेल को भारत मे अनेकों क्षेत्रिय भाषाओं के कारण के कई समस्याओं तथा परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, परन्तु उन्होंने अपने लक्ष्य से विचलित हुए देश की एकता एवं अखण्ड़ता के लिए हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए संविधान सभा में अपना मजबूत पक्ष रखा तथा देशवासियों को स्पष्ट संदेश दिया कि ''हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा अथवा राज भाषा होगी और होनी चाहिए''। सरदार पटेल का यह संदेश देश की एकता एवं अखण्ड़ता के लिए था, जिसमें उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश तथा देशवासियों को एकता के सूत्र में जोड़ने की उनकी परिकल्पना थी। अतः 14 सितम्बर, 1942 को भारतीय संविधान में हिंदी को सांवैधानिक रूप से ''राज भाषा'' घोषित किया गया, जिसका भारतीय संविधान में संविधान के भाग–17, अनुच्छेद 343–345 तक वर्णन हैं।[6] उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सब सरदार पटेल की दूरदर्शिता, कर्त्तव्यनिष्ठा एवं परिश्रम द्वारा संभव हो पाया है।

राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के निर्माण तथा सभी वर्गों के उत्थान लिए उन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया, जिसमें सबसे प्रमुख तथा सबसे बड़ा आन्दोलन 1917 का खेड़ा आन्दोलन था, जिसमें उन्होंने सरकार की असीमित लगान वसूली का विरोध किया था, अन्त में सरकार को लगान वसूली माफ करनी पड़ी। 1922 को अहमदाबाद की कपड़ा मंडी में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, 1923 को नागपुर में झंडा आन्दोलन में भागीदारी तथा बोरसद सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। उन्होंने 1927 में बारदोली किसान आन्दोलन का सफल आन्दोलन किया तथा महात्मा गाँधीजी ने उनको सरदार कहकर पुकारा और वे सरदार पटेल कहे जाने लगे। 1931 में कांग्रेस के करांची अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें सभी धर्मों तथा व्यक्ति समानता के लिए मौलिक अधिकार विषय पास करवाए थे।[7] सन् 1936 वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति ने सरदार पटेल को 'पार्लियामेंट्री समिति' का अध्यक्ष बनाया तथा सभा के चुनावों की रणनीति, उम्मीदवारों का चयन और कांग्रेस के सिद्धान्तों और सभी को साथ लेकर चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई जिसमें कांग्रेस को भारी विजय प्राप्त हुई थी।[8] उनके ये सभी निर्णय उनकी नेतृत्व शक्ति, दूरदर्शिता, समानता तथा राष्ट्रीय एकता के निर्माण का संकेत देते है।

सरदार पटेल ने राजनीतिक पदों पर रहते हुए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रीय एकता एवं अखण्ड़ता को मध्य नजर रखते हुए बड़ी सूझबूझ व बुद्धिमत्ता से किए थे। सन् 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने उन्हें पूना अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया, जिसमें उन्हें राज्य विधान सभाओं के चुनावों के उम्मीदवार तय करना, चुनाव हेतु प्रचार–प्रसार, संचालन समिति के दिशा–निर्देशानुसार विजय की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी गयी, जिसमें उन्होंने पार्टी को विजयी दिलवायी। उनका दूसरा प्रमुख निर्णय भारत शासन अधिनियम–1935 के प्रावधानुसार 1937 के प्रांतीय विधान सभाओं के चुनावों का श्रेष्ठ संचालन करना था। उनका तीसरा प्रमुख कार्य सन् 1937 में मुम्बई में नरीमन की कांग्रेस विधायक दल के नेता पद की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करना था, क्योंकि नरीमन ने 1934 में केन्द्रीय विधान सभा के चुनावों में दलीय अनुशासन को भंग किया था।[9] सरदार पटेल द्वारा लिए गये सभी निर्णय उनकी पारदर्शिता, राष्ट्रीय एकता एवं समानता के अनुपम उदाहरण है।

सरदार पटेल ने गृहमंत्री के रूप में राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता सबसे महत्वपूर्ण कार्य देशी रियासतों के एकीकरण का था। यह कार्य उन्होंने भारत के गृह सचिव पी. वी. मेनन के साथ मिलकर किया था। मूल संविधान में राज्यों को चार श्रेणियों 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' में विभाजित किया गया था। 15 अगस्त 1947 के बाद सरदार पटेल ने भारत में 562 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य तीन चरणों में पूर्ण किया, जिसके प्रथम चरण में 21 देशी रियासतों को उन प्रान्तों में मिला दिया गया, जो भौगोलिक रूप में उनके निकट थे। दूसरे चरण में 61 देशी रियासतों को केन्द्र शासित क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तीसरे तथा अंतिम चरण में अनेक राज्यों के समूहो का विलय करके राज्यों का निर्माण किया गया, जिसके अर्न्तगत सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन व 275 देशी रियासतों को

मिलाकर 5 संघीय राज्यों का निर्माण किया गया था।[10] 1956 में राज्य पुर्नगठन आयोग द्वारा इन चारों श्रेणियों ए, बी, सी, डी को समाप्त करते हुए भारत में 16 बड़े राज्यों तथा 3 केन्द्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी।

रियासतों के एकीकरण में सर्वप्रथम समस्या उड़ीसा तथा छत्तीगढ़ रियासतों में उत्पन्न हुई थी। उस समय उड़ीसा राज्य में कुल 26 रियासतें तथा छत्तीसगढ़ राज्य में 15 रियासतें थी, जिनमें सबसे बड़ी रियासत बस्तर तथा सबसे छोटी रियासत शक्ति थी। 14 दिसम्बर, 1947 को सरदार पटेल ने छोटे–बड़े राजाओं के साथ बैठक करके रियासतों के विलयपत्रों पर तथा 15 अगस्त, 1947 को पटेल नागपुर पहुँच कर छत्तीसगढ़ के राजाओं से भेंट कर भारतीय संघ में विलय के लिए उन्हें राजी करते है और मध्य प्रान्त में विलीन हो जाते है।[11] दूसरी और सौराष्ट्र राज्य में उस समय दो सौ से अधिक छोटे–बड़े राज्य व ताल्लुके थे, जिनमें से काठियावाड़ में 14 सलामी रियासतें, 17 गैर सलामी रियासतें तथा 119 अन्य छोटी रियासतें थी। 13 जनवरी, 1948 को इस राज्य संघ के निर्माण के संधि पत्र पर सभी राजाओं ने हस्ताक्षर कर उसका नाम ''सौराष्ट्र राज्य संघ'' रखा गया।[12] ये सभी कार्य तथा निर्णय गृह मंत्रालय के अधीन सरदार पटेल के सुझावों तथा गृह विभाग के सचिव वी. पी. मेनन के सहयोग द्वारा ही सम्पन्न किए गए थे।

राजस्थान में उस समय 19 रियासतें और 3 ठिकाने कुशलगढ़ (बांसवाडा), लावा (जयपुर) तथा दांता (टोंक) थे। इन सभी रियासतों का भारतीय संघ में विलय सरदार पटेल (गृहमंत्री) की देखरेख में 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। जो कि सन् 1948 से प्रारम्भ होकर 1 नवम्बर, 1956 तक पूर्ण हुआ था। पेप्सू संघ के अर्न्तगत पटियाला, जीन्द, नभा, फरीदकोट, मलेरकोटला और कपुरथला के अलावा दो गैर सलामी रियासतें (कलसिया व नालगढ़) भी सम्मिलित थी। भारतीय संघ में पटियाला तथा पूर्वी पंजाबी रियासतों के संघ पेप्सू का विलय 15 जुलाई, 1948 को किया था।[13] 5 मई, 1948 को इस संघ को कानूनी मान्यता प्रदान करते हुए सरदार पटेल इस विजय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। विन्ध्य प्रदेश का भारत में विलय मार्च 1948 में हुआ जियमे बुन्देलखण्ड तथा बघेलखण्ड के सभी राजाओं ने अपनी सहमती प्रदान करते हुए विलय पत्रों पर हस्ताक्षर किए तथा 2 अप्रेल, 1948 को नये राज्य ''विन्ध्य प्रदेश'' का उद्घाटन खान एवं विधुत मंत्री एन. वी. गॉडलिक द्वारा किया था, जिसका कुल क्षेत्रफल 24,598 वर्गमील तथा कुल जनसंख्या 3,56,900 थी।[14]

मध्य भारत की 25 रियासतों में ग्वालियर तथा इंदौर दोनों रियासतों के राजाओं में आपसी मतभेद थे, जिसको मध्य नजर रखते हुए पहले दो नए संघों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। परन्तु सरदार पटेल जानते थे कि दो संघों के निर्माण से ग्वालियर तथा इंदौर के मध्य आपसी संघर्स हमेषा चलता रहेगा और दोनों संघों का विकास नहीं हो पाएगा। अतः सरदार पटेल के समझाने पर ''मध्य भारत'' के निर्माण की सहमती को वहा के राजाओं ने स्वीकार कर लिया। 28 मई, 1948 को इस नवीन ''मध्य भारत'' का उद्घाटन जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस नवीन ''मध्य भारत'' में छोटी–बड़ी कुल 25 रियासतों को सम्मिलित किया गया, जिनका क्षेत्रफल 47,000 वर्गमील तथा कुल जनसंख्या लगभग 70,00,000 थी। ट्रावनकोर–कोचीन संघ का कुल क्षेत्रफल 9,155 वर्गमील था जबकि इस क्षेत्र का कुल जनसंख्या 75,00,000 के लगभग थी। ट्रावनकोर के राजा पर अपने दीवान सी. पी. रामास्वामी अयर का प्रभाव था। 9 मई, 1947 ई. को ट्रावनकोर के दीवान सी. पी. रामास्वामी अयर ने यह घोषणा कि ''भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के साथ ही ट्रावनकोर भी एक स्वतंत्र राज्य बनेगा।'' जूनागढ़ रियासत के शासक अंतिम नवाब महावत खांन थे। 1941 की जनगणना के अनुसार जूनागढ़ रियासत की जनसंख्या 6,70,719 थी। 20 फरवरी, 1949 को जूनागढ़ रियासत का सौराष्ट्र संघ के विलय हो गया।[15]

हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदाराबाद भारत के मध्य में स्थित रियासत थी जिसके कारण इसे भारत का ह्रदय कहा जाता था। हैदराबाद के उत्तर में मध्य प्रान्त, दक्षिण में मद्रास प्रान्त, पूर्व में उड़ीसा प्रान्त तथा पश्चिम में बम्बई प्रान्त स्थित थे। नवम्बर, 1947 में भारतीय संघ में विलय को स्वीकार कर लिया। कश्मीर भारत की उत्तर–पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्य है जो कि भारत तथा पाकिस्तान दोनों की अन्तर्राष्टीय सीमा को जोड़ता है। अतः कश्मीर की समस्या भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सबसे जटिल समस्या रही है। कश्मीर का क्षेत्रफल 84,471 वर्गमील तथा वहां की कुल जनसंख्या 40,21,616 थी। स्वतंत्रता के समय कश्मीर की 79 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम तथा स्ववंत्रता के समय वहां के शासक ठाकुर हरिसिंह थे। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् कश्मीर महाराजा हरिसिंह कश्मीर को एक स्वतंत्र रियासत रखना चाहते थे तथा दोनों देशों भारत व पाकिस्तान से ''यथास्थिति समझौता'' रखना चाहते थे। 22 अक्टूम्बर, 1947 को उन्होंने पाकिस्तानी सैनिक अधिकारियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। तब महाराजा हरिसिंह ने 24 अक्टूम्बर, 1947 को पहली बार भारत सरकार से सहायता मांगी थी। तभी सरदार पटेल ने निर्णय किया कि महाराजा को तभी सहायता दी जाएगी, जब वे भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे। 26 अक्टूम्बर, 1947 को महाराजा हरिसिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे।[16] वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य एवं 7 केन्द्र शासित प्रदेश है। जिसमें 29 वे राज्य तेलगांना को मान्यता 2 जून, 2014 से मिली, जिसको राष्ट्रपति ने 01मार्च, 2014 को मंजूरी दी थी तथा तेलागांना विधेयक को लोकसभा द्वारा 18फरवरी, 2014 व राज्य सभा द्वारा 20फरवरी, 2014 को पारित किया गया था।[17]

भारत में देशी रियासतों के एकीकरण के समय में सरदार पटेल को उनकी बीमारी के कारण अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 14 जनवरी, 1949 को राजस्थान के उदयपुर में भाषण देते हुए पटेल ने कहा ''बहुत समय से हम तथा अनेको नरेश इस 'अखण्ड़ भारत' के निर्माण की कल्पना कर रहे थे। एक सामान्य भावना थी कि वर्तमान स्थिति में अलग–अलग रहने से लाभ के बजाय हानि अधिक है।''[18] अतः भारत तथा देशी रियासतों की भलाई के लिए देशी रियासतों का एकीकरण

अनिवार्य हो गया है। उसी समय सरदार पटेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमें आपसी मतभेद भुलाकर एक होकर देशहित के लिए कार्य करना चाहिए। ''भारत को अन्तर्राष्ट्रीय क्षैत्र में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता अनिवार्य है। हमें जाति पूर्वाग्रह तथा साम्प्रदायिक भावनाओं का त्याग करना होगा। हम सबमें भाईचारे की भावना का विकास करना होगा।'' भाषण के अन्त में सरदार ने कहा ''आप लोग अपने को भाग्यशाली समझें कि आप एक ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन के समय रह रहे है, जहां आपका भविष्य सुरक्षित है।[19] अर्थात् उन्होंने देशी रियासतों तथा अपनी प्रिय जनता को सामाजिक समरसता, भाई चारा तथा एक नये अखण्ड भारत निर्माण का संदेश दिया था। सरदार पटेल देश की एकता, अखण्डता के लिए साम्प्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व के तर्क की निन्दा की थी। सरदार पटेल हिंदु–मुस्लिम एकता, अखण्डता को एक बनाए रखने के पक्ष में थे। 03 जून, 1947 को मांउट बैटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत विभाजन के सिद्धांत को स्वीकृति दी गई थी। इस योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम के लोगो ने स्वीकार कर लिया था। सरदार पटेल ने इस विभाजन के लिए सहमति दी, क्योंकि वे जानते थे कि भारत को संयुक्त रखने के लिए अब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाना चाहिए अन्यथा एक अखण्डता भारत की कल्पना करना व्यर्थ होगी।[20] मार्च 1948 को राजस्थान में मत्स्य संघ का उद्घाटन करते हुए एम. वी. गाड़लिक ने कहा कि ''यदि महात्मा गांधी हमारी स्वतंत्रता के निर्माता है तो सरदार पटेल भारतीय संघ के विश्वकर्मा है।''[21] नवीन भारत का इतना बड़ा भाग शताब्दियों के पश्चात् एक शासन व्यवस्था में लाने में सरदार पटेल की भूमिका सराहनीय रही है।

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों, कथनों, अध्ययनों एवं विवरणों के आधार पर हम कह सकते है कि राष्ट्रीय एकता, अखण्ड़ता एवं समानता के लिए साम्प्रदायिकता की भावना, एक राष्ट्र भाषा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में भूमिका तथा देशी रियासतों का एकीकरण एक गंभीर तथा जटिल समस्या थी, जो भारत की भावी एकता, अखण्ड़ता तथा विकास को प्रभावित कर रही थी। देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया इतनी जल्दी पूर्ण होने में लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विवेकपूर्ण शक्ति, कर्मनिष्ठता, तथा दूरदर्शिता रही है। अतः हम कह सकते हैं कि सदार पटेल नवीन भारत के निर्माता, राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ शिल्पी थे। आने वाली पीढ़िया उनको आधुनिक राष्ट्र निर्माता तथा राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में याद करती रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *दैनिक भास्कर अंक 31 अक्टूबर, 2016, पृ.स. 13*
2. *मिश्रा राजेश, राजनीति विज्ञान, गोल्डन पीकॉक पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2016, पृ.स. 407*
3. *कुमार रविन्द्र, सरदार पटेल के प्रमुख निर्णय, कल्पाज पब्लिकेशन, दिल्ली, 2014 पृ.स 136*
4. *वर्मा शिवांगी, भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल,स्टार प्रिन्ट ओ बाइन्ड, पब्लिकेशन, दिल्ली, 2015, पृ.स. 7–8*
5. *कुमार रविन्द्र, पूर्वोक्त, पृ.स. 95–99*
6. *कश्यप सुभाष, हमारा संविधान, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2015, पृ.स. 262–267*
7. *तिवारी विनोद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मनोज पब्लिकेशन, दिल्ली, 2014, पृ.स. 25–62*
8. *कुमार रविन्द्र एवं चौपड़ा पी. एन., सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामाजिक व राजनीतिक विचार, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1991, पृ.स. 68–79*
9. *कुमार रविन्द्र, पूर्वोक्त, पृ.स. 51–64*
10. *मेहरोत्रा डॉ. एन. सी. एण्ड कपूर डॉ. रजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यक्ति एवं विचार, आत्माराम एण्ड सन्स पब्लिकेशन, दिल्ली, 2012, पृ.स. 169*
11. *मेहरोत्रा डॉ. एन. सी. एण्ड कपूर डॉ. रंजना, पूर्वोक्त, पृ.स. 161–162*
12. *सिंह प्रेमलाल एवं सिंह सुधा, पूर्वोक्त, पृ.स. 85*
13. *निदारिया, भगवती प्रसाद, लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कीन बुक पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2014, पृ.स. 66–67*
14. *सिंह प्रेमलाल एवं सिंह सुधा, पूर्वोक्त, पृ.स. 90.*
15. *मेहरोत्रा डॉ. एन. सी. एण्ड कपूर डॉ. रंजना, पृ.स. 165–166*
16. *चाँद एस. एम. एवं फातिमा इकबाल, पूर्वोक्त, पृ.स. 164–174*
17. *अन्तर्राष्ट्रीय कानोलॉजी, अंक जुलाई, 2014 पृ.स. 21*
18. *मेहरोत्रा डॉ. एन. सी. एण्ड कपूर डॉ. रंजना, पूर्वोक्त, पृ.स. 164*
19. *जी. एम. नन्दूकर (सम्पादित), सरदार पटेल इन दि टियुल विद् दि मिलियन्स, खण्ड़–2, 1973, पृ.स. 40*
20. *मेहरोत्रा डॉ.एन. सी. एण्ड कपूर डॉ. रंजना, पूर्वोक्त, पृ.स.164*
21. *मेनन वी. पी., दी स्टोरी ऑफ दी इंटीग्रेशन ऑफ दी इंड़ियन स्टेट्स, ओरियन्टल लांगमैन पब्लिकेशन, कलकत्ता, पृस. 121–122.*